

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/वी-17/2018/

दिनांक:-

आदेश

श्रीमति ममता शर्मा, नर्स-2 (परिवीक्षाधीन) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कवास, बाडमेर का उनके स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

क्र.स.	नाम कर्मचारी	दिनांक से	दिनांक तक	अवधि दिवस में	अवकाश का प्रकार
1	ममता शर्मा, नर्स-2	01.05.16	03.05.16	03	असाधारण अवकाश
		05.07.16	08.07.16	04	
		30.07.16	31.07.16	02	
		16.08.16	21.08.16	06	
		02.11.16	—	01	
		03.12.16	14.12.16	12	
		01.04.17	02.04.17	02	
		08.05.17	12.05.17	05	
		15.06.17	19.06.17	05	
		06.08.17	—	01	
		08.08.17	10.08.17	03	
		21.09.17	27.09.17	07	
		09.10.17	10.10.17	02	
18.10.17	—	01			
17.11.17	21.11.17	05			
2	योग			59	

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक F.1(2)FD(Rules)/06/Part-1 दिनांक 11.06.2014 के अनुसरण में एक माह से अधिक अवधि के उपरान्त उपभोग किये गये असाधारण अवकाश की सीमा तक उनके परिवीक्षाकाल में अभिवृद्धि की जावेगी।

-sd-

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

दिनांक:- 9-7-2018

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/वी-17/2018/ 930

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाडमेर।
2. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कवास, बाडमेर।
3. श्रीमती ममता शर्मा, नर्स-2, को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर आदेश अपलोड करें।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर